villages in submergence to new sites. Many families from Madhya Pradesh who were declared as Sardar Sarovar affected since 1980s are now excluded from 'Backwater Level Affected' category, even when most of their properties are already acquired and transferred in the name of the Narmada Authority. Not only that, a number of Sardar Sarovar affected Adivasis from Maharashtra are also yet to get any or, all of the agricultural land, house plots allotted with titles and amenities in places of Refugee, Relief and Rehabilitation sites, in their possession and yet to shift to new sites. Thousands of Sardar Sarovar affected landless families in Madhya Pradesh including fishermen, potters, labourers, shopkeepers and artisans have reportedly not been granted rehabilitation benefits. It is also ironical that no concrete action has yet been taken against the middlemen and officials who are held responsible for more than 1,500 fake sale deeds and massive corruption on other aspects of rehabilitation, and their offences are recorded by Justice Jha Commission after seven years' long inquiry!

Sir, the most alarming fact is that huge quantity of ponded water from Sardar Sarovar Reservoir is allocated to the Coca Cola factory and car industries like Nano and Ford, depriving the people living in the vast municipal areas of Gujarat, of adequate drinking water, particularly, in Kutch and Saurashtra.

I demand that a White Paper be published by the Central Government on the impact of Sardar Sarovar Project. Thank you, Sir.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.

SHRI TAPAN KUMAR SEN (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार)ः महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से सम्बद्ध करता हूँ।

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY (West Bengal): Sir, I also associate myself with the issue raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, all those who associate, their names may be added. Now, Shrimati Kahkashan Perween.

Concern over sex determination racket caught in a village in Delhi

श्रीमती कहकशां परवीन (बिहार)ः महोदय, आज मैं सदन में आपकी अनुमति से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने जा रही हूँ।

[श्रीमती कहकशां परवीन]

सर, एक ओर हम बच्चियों और औरतों के मान-सम्मान और उनके सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, तो लैंगिक असमानता पर कानूनी व्यवस्था तथा सामाजिक संवेदनहीनता भारी पड़ती दिख रही है। यह समाज में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। इसकी मार सबसे ज्यादा लड़कियों और औरतों पर पड़ रही है। इसका खामियाजा समाज को भुगतना पड़ता है। बेशक स्थिति बदल रही है, लेकिन कन्या भ्रूण-हत्या आज भी बंद नहीं हुई है। इसकी रोक के लिए एक तरफ आवाज़ उठाई जाती है, कड़े कानून बनाये जाते हैं, परन्तु दूसरी ओर कन्या भ्रूण-हत्या रुकने का नाम नहीं ले रही है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार कन्या भ्रूण-हत्या की जांच तथा भ्रूण-हत्या को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को कई प्रकार के निर्देश जारी किये हैं। इसके बावजूद 22 मार्च को अखबार में यह खबर आई है कि दिल्ली के बक्करवाला गांव में भ्रूण परीक्षण गिरोह पकड़ा गया है। यह वही गिरोह है, जो डेढ़ वर्ष पहले इसी अपराध में पकड़ा गया था। जेल जाने के बाद भी सारे डर और खौफ को खत्म करके फिर से ये गलत काम, गैर-कानूनी काम कर रहे हैं, इनकी हिम्मत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। कुछ नर्सिंग होम्स में सिर्फ लड़के ही जन्म लेते हैं। मैं कहीं और की बात नहीं करती हूँ, बल्कि आप दिल्ली में ही देख लीजिए। दक्षिणी दिल्ली में ऐसे अस्पतालों की संख्या ज्यादा है। यहां 18 नर्सिंग होम ऐसे हैं, जहां वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 3,456 बच्चों ने जन्म लिया, इनमें से 3,123 लड़के और मात्र 333 ही लड़कियां हैं। यही हाल अन्य बड़े शहरों का भी है। क्या हम इस पर संजीदा हैं, संवेदनशील हैं?

आखिर कब तक गर्भ में बेटियां मरती रहेंगी? इनको बचाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का सख्ती से पालन कराया जाए। इसके लिए जिला स्तर पर एक निगरानी कमेटी का गठन कराया जाए। जिन्हें सिर्फ बेटियां हैं, ऐसे माता-पिता को उनके लालन-पालन में विशेष सुविधा मिले। अगर ऐसे माता-पिता बैंक से लड़कियों की पढ़ाई, इलाज या विवाह के लिए लोन लेते हैं, तो उनसे ब्याज दर कम ली जाए। साथ ही साथ उन्हें इनकम टैक्स में भी छूट मिले, ऐसा सरकार प्रबंधन करे। अगर माता-पिता सरकारी सेवक हैं, तो पदोन्नति में भी उनको उसका लाभ मिले। आखिर में ऐसी बेटियों के लिए, जो गर्भ में मार दी जाती हैं और उन बेबस मजबूर औरतों के लिए, जिनके गर्भ में बेटियों का नाश किया जाता है, उनके दर्द को मैं एक शेर के माध्यम से इस सदन में रखना चाहूंगी।

"मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूँ, मुरझाए हुए फूल की तकदीर हूँ,
लेकिन चुभ जाऊं किसी दिन, मैं वह कांटा तो नहीं हूँ।"

श्री अली अनवर अंसारी (बिहार): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

डा. अनिल कुमार साहनी (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री हरिवंश (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री जावेद अली खान (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

† **جناب جاوید علی خان (اترّ پردیش):** مہودے، میں بھی خود کو اس وشئے سے سمبدّھہ کرتا ہوں۔

श्री आलोक तिवारी (उत्तर प्रदेश) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री राम चंद्र प्रसाद सिंह (बिहार) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

श्री शमशेर सिंह ढुलो (पंजाब) : महोदय, मैं भी स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI KANIMOZHI (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. K. RAGESH (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI RITABRATA BANERJEE (West Bengal): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI K. SOMAPRASAD (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI C. P. NARAYANAN (Kerala): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI T. K. RANGARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI PREM CHAND GUPTA (Jharkhand): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): Sir, I also associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SOME HON. MEMBERS: Sir, we also associate ourselves with the matter raised by the hon. Member.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: All the names of the hon. Members, who have associated themselves with it, may be included. It is a very important issue.

---

† Transliteration in Urdu script.